न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं, राज0

मु0नं0

1- रणवीरसिंह पुत्र अमरसिंह उम्र 25 साल जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं, राजस्थान

2- राजूसिंह उम्र 22 साल पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं, राजस्थान

3- जगवीरसिंह उम्र 20 साल पुत्र अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं, राजस्थान

4- बजरंग सिंह उम्र 16 साल पुत्र अमरसिंह नाबालिग जरिये वली कुदरती माता श्रीमती मिश्री देवी पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं, राजस्थान

5- सुमेरसिंह उम्र 14 साल पुत्र अमरसिंह नाबालिग जरिये वली कुदरती माता श्रीमती मिश्री देवी पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं, राजस्थान

6- नरसिंह उम्र 12 साल पुत्र अमरसिंह नाबालिग जरिये वली कुदरती माता श्रीमती मिश्री देवी पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं, राजस्थान

7- विजयसिंह उम्र 8 साल पुत्र अमरसिंह नाबालिग जरिये वली कुदरती माता श्रीमति मिश्री देवी पत्नी अमरसिंह जाति राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं, राजस्थान

--वादीगण

बनाम

1/1 श्रीमती धुमली बेवा जयचन्द निवासी बादली, हरियाणा माता

1/2 मनजीत उम्र 15 साल पुत्र जगदीश सिंह जाति जाट निवासी बादली, हरियाणा माता जरिये वली कुदरती दादी श्रीमती धुमली बेवा जयचन्द जाति जाट निवासी बादली, हरियाणा

1/3 श्रीमती गुडी पुत्री जगदीश सिंह पत्नी पप्पू जाट निवासी देवरोड़ तहसील चिड़ावा जिला झुंझुनूं, राजस्थान

2- धूपसिंह उम्र 42 साल पुत्र जयचन्द जाति जाट निवासी बादली, हरियाणा

3- ईश्वर उम्र 38 साल पुत्र जयचन्द जाति जाट निवासी बादली, हरियाणा

4- ओमप्रकाश पुत्र जयचन्द जाति जाट निवासी बादली, हरियाणा

5- सत्यवीर उम्र 30 साल पुत्र जयवचन्द जाति जाट निवासी बादली, हरियाणा

6- रघुवीर सिंह पुत्र जयचन्द जाति जाट निवासी [illegible]

7- अमरसिंह पुत्र भूरसिंह राजपूत निवासी पिलोद [illegible]गढ़ जिला झुंझुनूं, राज0

8- तेजसिंह उम्र 30 साल पुत्र [illegible] पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं, राजस्थान

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:51:55 IST
Reason: SelfAttested

9- सत्यवीर पुत्र जगमाल सिंह राजपूत निवासी पिलोद [illegible]सील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं

10- रामपाल सिंह पुत्र जगमाल सिंह राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं, राजस्थान

11- सुश्री पूजा पुत्री प्रतापसिंह राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं, राजस्थान

उपखण्ड, अधिकारी, सूरजगढ

Scanned with CamScanner

12- श्रीमती सुरेश कंवर बेवा प्रतापसिंह राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं, राजस्थान

13- श्रीमती फुला देवी बेवा जगमालसिंह राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं, राजस्थान

14- श्रीमती श्रवण कंवर उर्फ श्योकंवर पत्नी रघुवीरसिंह राजपूत निवासी पिलोद तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं, राजस्थान

--प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक व हुक्म इम्तनाई व दुरूस्ती रिकोर्ड

निर्णय

दिनांक: 11-08-2020

वादीगण की ओर से वाद-पत्रइस आशय का पेश हुआ कि भूमि गत ख.नं. 68 रकबा 36 बीघा 6 बिश्वा, ख.नं. 67 रकबा 11 बीघा 18 बिश्वा वाके ग्राम पिलोद में स्थित है उक्त भूमि के पूर्व में भूरसिंह व जगमाल सिंह उर्फ जगु पुत्र हरिसिंह राजपूत बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार थे उक्त दोनो का देहान्त हो चुका है दोनो का सजरा वाद-पत्र में दर्ज किया है। भूरसिंह के देहान्त पर उसके हिस्से के खातेदार उसके वारीसा वादीगण व प्रतिवादी नं. 7 हुए, मृतक जगमाल के हिस्से के खातेदार उसके वारीस प्रतिवादीगण 2 लगायत 13 हुए।

वादीगण मृतक भूरसिंह के पौत्र तथा अमरसिंह प्रतिवादी नं. 7 पुत्र है पैत्रिक सम्पति होने से वादीगण व प्रतिवादी नं. 7 विवादित भूमि गत ख.नं. 67 रकबा 11 बीघा 18 बिश्वा, ख.नं. 68 रकबा 36 बीघा 6 बिश्वा में मृतक भूरसिंह की खातेदारी हकुको में जन्म से ही खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये। विवादित भूमि का भूरसिंह व जगमाल सिंह के मध्य विधिवत रूप से विभाजन नहीं हुआ था दोनो आपसी सहुलियत के अनुसार काश्त करते थे। प्रतिवादी नं. 7 शराबी है वह खुद काश्त करने की स्थिति में नहीं था।

प्रतिवादी नं. 4औमप्रकाश पुत्र जयचन्द जाट ने एक आवेदन सहायक भू-प्रबन्धक अधिकारी बीकानेर कैम्प चिड़ावा के यहाँ दिनांक 22-8-86 को देना बताया जिसमें ख.नं. 67 में से 8 बीघा 18 बिश्वा व ख.नं. 68 में से 4 बीघा 6 बिश्वा भूमि प्रतिवादी नं. 7 से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र मृतक जयचन्द ने खरीदी है। जयचन्द का देहान्त हो गया इसलिए उसके वारीसान के नाम खातेदारी दर्ज की जावे। प्रार्थना-पत्र दर्ज नहीं किया गया जमीन कब खरीदी व कब रजिस्ट्री करवाई। सेटलमेन्ट खतम होने पर यह प्रार्थना-पत्र न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं में भिजवा दिया गया इसका नोटिस 15-1-91 को उपखण्ड अधिकारी से प्रतिवादी नं. 7 के पास गया। प्रतिवादी नं. 7 अमरसिंह वकील के पास गया तो उनके द्वारा कागजात देखकर बताया गया कि मृतक जयचन्द ने अपने हक ख.नं. 68 में से 4 बीघा बिश्वा प्रतिवादी नं. 7 की तरफ से एक बिचोली-पत्र दिनांक 30-5-79 को कराया। ख.नं. 67 में से 8 बीघा 18 बिश्वा भूमि का बिचोती-पत्र दिनांक 5-12-80 को मृतक जयचन्द ने प्रतिवादी नं. 7 से अपने हक में करवाना बताया। मृतक जयचन्द ने अपने पक्ष में अपने जानकारो की सहादत साक्षी करवा दी जबकि प्रतिवादी नं. 7 की तरफ से कोई बिचोती-पत्र स्दीक नहीं करवाया, न जमीन पर कब्जा दिया और न ही रूपये प्राप्त किये। विवादित भूमि पैत्रिक सम्पति है वादीगण की सहमति के बिना प्रतिवादी नं. 7 विक्रय नहीं कर सकता। भूमि अविभाजित है बिना बटवारा करवाये प्रतिवादी नं. 7 बेच नहीं सकता। जो बैचान-पत्र कराया गया है वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के विरूद्ध है। न्यूनतम क्षेत्रफल से कम बेचान होने के कारण बेचान शुन्य है। वादीगण उक्त बेचान से पाबन्द नहीं है। मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:51:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

जयचन्द व उसके वारीसान प्रतिवादी नं 1 लगायत 5 का जमीन ख.नं. 67, 68 पर कभी कब्जा नहीं हुआ न ही इन्होने कभी काश्त की है।

श्रीमती श्रवण कंवर पत्नी रघुवीर सिंह राजपूत साकिन पिलोद ने एक दावा सहायक कलेक्टर झुंझुनूं के न्यायालय में किया यह दावा प्रतिवादी नं.1 लगायत 5 व प्रतिवादी नं. 7 के विरूद्ध इस आशय का किया कि ख.नं. 67 तादादी 8 बीघा 18 बिश्वा जरिये बिचोती-पत्र दिनांक 29-7-89 को खरीदा जिसका खातेदार घोषित किया जावे तथा रेवेन्य रिकार्ड में खातेदारी श्रीमती श्रवण कंवर प्रतिवादी नं. 14 के नाम किया जावे। इस दावे को दिनांक 2-11-91 को विड्रा कर लिया गया इस प्रकार श्रवण कंवर उक्त आराजियात 8 बीघा 18 बिश्वा की खातेदार नहीं है।

ख.नं. 67 में से 8 बीघा 18 बिश्वा व ख.नं. 68 में से 4 बीघा 6 बिश्वा का बेचान मृतक जयचन्द के नाम करना बताया जो उपर दर्ज कारणो से Void है। मृतक जयचन्द व प्रतिवादीगण 1 लगायत 5 को कोई Title नहीं मिलता। तथाकथित बेचान प्रतिवादी नं.7 द्वारा काश्त करना बताया है उक्त भूमि वादीगण की खातेदारी में है व बेचान के समय वादीगण नाबालिग थे नाबालिग की जमीन बिना न्यायालय के आदेश के बिक्री नहीं की जा सकती।

ख.नं. 68 के नये ख.नं. 43 रकबा 3.05 है0, ख.नं. 48 रकबा 0.04 है0, ख.नं. 49 रकबा 6.09 है0, सेटलमेन्ट वालो ने दर्ज करके खातेदारी प्रतिवादी नं. 8, 9, 10, 13 व श्रीमती श्रवण कंवर प्रतिवादी नं. 14 को खातेदार दर्ज कर दिया यह इन्द्राज गलत किया। वादीगण उक्त इन्द्राज से पाबन्द नहीं है उक्त इन्द्राज काबिले दुरूस्त है।

विनायमुखास्मत दावे में दर्ज का तथाकथित बिचौती-पत्र दिनांक 30-5-79, 5-12-80, 29-7-89, 3-6-77, 22-11-84 को रजिस्ट्री करने तथा इस बिचौती-पत्रो की जानकारी 15-1-91 व इसके बाद होने पर अदालत हाजा के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुई है।

अंत में वादीगण ने अपने वाद-पत्र की मद संख्या 27 के अनुसार वाद-पत्र को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

वाद वादीगण पेश होने पर दर्ज रजिस्ट्रर किया गया प्रतिवादीगण को प्रस्तुत तलवाने समन मय नकल दावा भेजकर तलब किया गया। प्रतिवादीगण 1/1 लगायत 6, 14 की ओर से जबाब दावा मय प्रतिदावा पेश हुआ। जबाब दावा में दर्ज विवादित भूमि ग्राम पिलोद में होना एवं दावे में दर्ज सजरा स्वीकार किया गया। विवादित भूमि गत ख.नं. 67 व 68 मृतक भूरसिंह व मृतक जगमाल सिंह की खातेदारी में होना स्वीकार किया गया। विवादित जमीन ख.नं. 67 की 11 बीघा 18 बिश्वा व ख.नं. 68 की 36 बीघा 6 बिश्वा की पूर्व खातेदार जगमालसिंह व अमरसिंह ने ही समय समय पर अपने परिवार की जरूरत व पंजाब नैशनल बैंक लोहारू की ऋण अदायगी के लिए मृतक जयचन्द व प्रतिवादी नं.14 से रकम लेकर उनके हक में विक्रय कर दी इसलिए वादीगण का वादग्रस्त भूमि के आधे हिंस्से के खातेदार होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है।

वादग्रस्त आराजियत गत ख.नं. 67, 68 [illegible] जगमाल सिंह व अमरसिंह सहुलियत से काश्त करते थे। ख.नं. 68 [illegible] 48, 49 है मृतक जगमाल सिंह के वारीसान प्रतिवादी नं. 8 लगायत 13 ख.नं. 43 [illegible] 3.05 है0 व ख.नं. 48 रकबा 0.04 है0 पुख्ता चाह में से आधे हिंस्से की ओर बकाब [illegible] इसी ख.नं. 68 के नये ख.नं. की भूमि 49 की 6.09 है0 है जिस पर प्रतिवादीनी संख्या 14 श्रीमती श्रवण कंवर काबिज काश्त है। गत ख.नं. 67 की 8 बीघा 18 बिश्वा दक्षिण की तरफ की हाल ख.नं. 383/49 की 2.87 है0 जिस पर प्रतिवादी नं. 14 रकबा 2.12 है0 भूमि दक्षिण की ओर की पर काबिज है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:31:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

ख.नं. 49, 383/49 के बीच में अपना पुख्ता चाह बनाकर मई 1989 से बिजली का कनेक्शन लेकर अपने पुख्ता मकानात बनाकर आबाद हैं। ख.नं. 67 की 2 बीघा 4 बिश्वा हाल ख.नं. 383/49 की 0.64 है0 उतर की तरफ की आराजी पर छतुसिंह काबिज है व प्रतिवादी नं. 7 छतु सिंह के उत्तर में 0.20 है0 पर आबाद है इसलिए उक्त भूमि पर वादीगण की कब्जा काश्त का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है गलत दर्ज किया है कि अमरसिंह शराबी व्यक्ति हो ओर उसकी मानसिक स्थिति ठीक न हो।

प्रतिवादी नं. 7 अमरसिंह के द्वारा 4 बीघा 6 बिश्वा व ख.नं. 67 की 2 बीघा 18 बिश्वा जिसके विक्रय-पत्र दिनांक 30-5-79, 5-12-80 बहक अमरचन्द करवाना स्वीकार है उक्त विक्रय-पत्र प्रतिवादी नं.7 ने सही करवाये वारग्रस्त भूमि को मृतक जगमाल सिंह व अमरसिंह ने बांट रखा था इसलिए उन्होने अपने अपने हिस्सो की भूमि का समय-समय पर बेचान किया ओर केताओं के कब्जे करवाये। वादीगण को उक्त बैध बैचानो को नल व वाईड घोषित करवाये जाने का कोई अधिकार नहीं है। भूमि ख.नं. 67, 68 की 8 बीघा 18 बिश्वा तथा 4 बीघा 6 बिश्वा भूमि प्रतिवादी नं. 7 अमरसिंह से खरीदने के रोज से उक्त भूमि पर जयचन्द व जयचन्द के देहान्त के बाद उसके वारीसान प्रतिवादी नं. 1 लगायत 6 काबिज रहे व उसके बाद प्रतिवादी नं.14 उक्त आराजियत पर काबिज काश्त हैं। प्रतिवादी संख्या 14 ने प्रतिवादी 1 लगायत 5 व प्रतिवादी 7 अमरसिंह के खिलाफ मु0नं0 195/90 पेश करना स्वीकार है परन्तु उक्त वाद में वादीया के द्वारा वाद के विषयगत, तकनीकी ओर जनरल डिफेक्टस के चलते वापिस लिये जाने की प्रार्थना-पत्र दिनांक 30-10-91 को 200 रूपये हर्जाने पर दावा विड्रा कर नया दावा पेश करने की स्वीकृति के साथ खारिज करवाया था। बाद में प्रतिवादी नं.14 ने न्यायालय श्रीमान् के यहाँ मुकदमा दिनांक 24-1-92 को नया मु0नं0 22/रेवेन्यू/92 का उनवानी श्रीमति श्रवण कंवर बनाम धुपसिंह आदि प्रस्तुत कर दिया जो न्यायालय में जेरकार है जिसके चलते वर्तमान वाद की कार्यवाही दफा 10 सी पी सी के तहत स्थगित होने से वाद चलने योग्य नहीं है। भूमि ख.नं. 67 की 8 बीघा 18 बिश्वा, ख.नं. 68 की 4 बीघा 6 बिश्वा जयचन्द के नाम कय किया जाना स्वीकार है उक्त दोनो खरीदशुदा भूमि एक दूसरे को लगी हुई थीं ओर जयचन्द व प्रतिवादी नं.1 लगायत 5 शामिल में काबिज काश्त थे इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधि0 की धारा 42 के प्रावधानो के विपरित होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। गत वर्षो में सैटलमेन्ट में उक्त आराजियात ख.नं. 67, 68 के कब्जा काश्त के आधार पर व अलग अलग सीमाओ के आधार पर नये सर्वे नम्बर भी डल चुके हैं।

प्रतिवादी नं. 7 अमरसिंह ने प्रतिवादिनी संख्या 14 द्वारा दिनांक 22-11-84 को ख. नं. 68 की 9 बीघा 1 बिश्वा कय करना स्वीकार है और प्रतिवादी नं. 14 कय के रोज से आज तक काबिज काश्त है। दिनांक 5-12-80, 30-5-79, 29-7-89 को विभिन्न विक्रय-पत्र सत्यापित किये जाने स्वीकार हैं तथा दिनांक 16-5-77 को प्रतिवादी नं 14 द्वारा ख.नं. 68 की 8 बीघा 10 बिश्वा आराजी मौजा पिलोद की खरीदना तथा प्रतिवादी सं. 7 से प्रतिवादीनी संख्या 14 द्वारा दिनांक 22-11-84 को ख.नं. 68 की 9 बीघा 11 बिश्वा भूमि खरीदना भी स्वीकार है इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 14 को विक्रय-पत्र के आधार पर कब्जा काश्त के आधार पर खातेदारी अधिकार पैदा हो गये। ख.नं. 49, 383/49 के बीच में प्रतिवादी नं. 14 ने अपना पुख्ता चाह बनाकर विद्युत कनेक्शन लेकर अपना फवारा सैट सिंचाई का लगा रखा है तथा इस कुए के पास में प्रतिवादी 14 ने पुख्ता मकानात रिहायशी करीब एक लाख रूपये लगाकर बना रखे हैं ओर इनमें वह अपने परिवार सहित आबाद एवं काबिज है। प्रतिवादी नं.14 ने ख.नं. 49/383/49 की भूमि पर अपने फवारा सैट का

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:51:55 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Scanned with CamScanner

36000/- रूपये भूमि विकास बैंक झुंझुनूं से और स्वराज 855 ट्रेक्टर एक लाख चोवन हजार रूपये का ऋण युको बैंक पिलानी से ले रखा है।

स्व0 जयचन्द के द्वारा खरीदी गई आराजियात ख.नं. 68 की 4 बीघा 6 बिश्वा दिनांक 30-5-79 की जिसे प्रतिवादीगण संख्या 1/2, 1/3 के स्व0 पिता जगदीश व प्रतिवादीनी संख्या 1/1 के पति जगदीश व प्रतिवादी 2 लगायत 5 ने उक्त जयचन्द की मृत्यु के बाद दिनांक 26-5-85 को प्रतिवादी संख्या 14 को उक्त भूमि बिल एवज 20000/- रूपये में विक्रय कर दी उक्त रोज से प्रतिवादी नं. 14 का कब्जा बरकरार है इन प्रतिवादीगण ने उसी रोज एक इकरारनामा प्रतिवादी नं. 14 के हक में लिख दिया था। इसके अलावा भूमि ख.नं. 67 की 8 बीघा 18 बिश्वा पुख्ता भूमि दिनांक 5-12-80 को उक्त जयचन्द ने उक्त प्रतिवादी नं. 7 से खरीदी थी जिस पर प्रतिवादी 2 लगायत 5 व मृतक जगदीश ने दिनांक 29-7-89 को बिल एवज 40000/- रूपये में प्रतिवादीनी संख्या 14 को विक्रय कर दी ओर उक्त रोज ही उक्त आशय का विक्रय-पत्र कार्यालय उपपंजीयक चिड़ावा के यहॉ सत्यापित करवा दिया और कब्जा वास्तविक प्रतिवादी नं.14 का करवा दिया उस रोज से प्रतिवादी नं.14 को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये।

प्रतिवादीगण 1/1 लगायत 6 व 14 के द्वारा अपने जबाब वाद-पत्र के साथ प्रतिदावा पेश किया कि प्रतिवादीनी संख्या 14 को वादग्रस्त भूमि ख.नं. 49 रकबा 6.09 है0, ख.नं. 48 रकबा 0.04 है0 की आधी नाल की 0.02 है0, ख.नं. 383/49 की 2.12 है0 दक्षिण की तरफ की कुल 8.23 है0 मौजा ग्राम पिलोद का काश्तकार खातेदार घोषित किया जावे इसे अन्य खातेदारान से विभाजित कर अलग किया जावे और वादीगण व प्रतिवादीगण 7 को व अन्य सहखातेदारान को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे स्वयं या अपने एजेन्ट के द्वारा प्रतिवादी नं.14 के कब्जा काश्त में किसी प्रकार की बाधा ना डाले व अन्य सिद्धि बहक प्रतिवादी नं. 14 के हक में रह गई हो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 209 के अन्तर्गत दिलवाई जावे।

दिनांक 20-2-2020 को वादीगण की ओर से न तो वादीगण ओर न ही कोई वकील हाजिर न ही प्रतिवादी नं. 14 की ओर से वकील हाजिर इसलिए वादीगण का वाद-पत्र अदम हाजिरी एवं अदम पेरवी में खारिज किया गया। प्रतिदावा विचाराधीन रहा। प्रतिदावा में प्रतिवादीनी नं.14 की ओर से साक्ष्य सबुत पेश हुए जिसमें प्रतिवादीनी की ओर से साक्ष्य दस्तावेज प्रदर्श ए-1 लगायत प्रदर्श ए-29 प्रदर्शित करवाये गये तदुपरान्त पत्रावली में प्रतिदावा में बहस सूनी गई जिस पर निर्णय दिया जाना है।

बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो से प्रतिदावा में प्रतिवादीगण 1/1 लगायत 6 व 14 ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि प्रतिवादीनी नं.14 ने भूमि गत ख.नं. 68 रकबा 36 बीघा 6 बिश्वा में से दिनांक 16-5-77 को 8 बीघा 10 बिश्वा पुख्ता भूमि तथा दिनांक 22-11-84 को जरिये [illegible]पत्र से 9 बीघा 11 बिश्वा पुख्ता भूमि तत्कालीन खातेदार प्रतिवादी नं.7 अ[illegible]सिंह [illegible]क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया था। प्रतिवादी नं. 7 अमरसिंह ने गत ख.नं. 68 रकबा [illegible] 6 बिश्वा भूमि में से 4 बीघा 6 बिश्वा भूमि दिनांक 30-5-79 को प्रतिवादी [illegible]गायत 5 के पुर्वज जयचन्द पुत्र मोहरसिंह जाट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से वि[illegible]कर कब्जा संभलवा दिया था। उक्त अमरसिंह ने दिनांक 5-12-80 को भूमि गत ख.नं. 67 रकबा 11 बीघा 10 बिश्वा में से 8 बीघा 18 बिश्वा पुख्ता भूमि जयचन्द पुत्र मोहरसिंह को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय-पत्र से विक्रय कर दी। उक्त जयचन्द के देहान्त के बाद जयचन्द के वारीसान प्रतिवादी नं. 1/1 लगायत 5 ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:31:55 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ

Scanned with CamScanner

भूमि गत ख.नं. 67 रकबा 8 बीघा 18 बिश्वा जो जयचन्द ने प्रतिवादी नं.7 अमरसिंह से क्रय की थी को प्रतिवादीनी नं. 14 को दिनांक 29-7-89 को विक्रय कर दी। उपरोक्त विक्रय-पत्रों के आधार पर प्रतिवादीनी नं.14 भूमि गत ख.नं. 68 रकबा 36 बीघा 6 बिश्वा में से विक्रय-पत्र दिनांक 16-5-77 व 22-11-84 के आधार पर कुल 18 बीघा 1 बिश्वा भूमि की खातेदार काश्तकार होना साबित होता है तथा भूमि गत ख.नं. 67 रकबा 8 बीघा 18 बिश्वा की खातेदार विक्रय-पत्र दिनांक 5-12-8 व 29-7-89 के आधार होना साबित पाया गया।

प्रतिवादीगण 1/1 लगायत 6 व 14 ने अपने प्रतिदावा, अपनी साक्ष्य सबुत से यह भी साबित किया कि भूमि गत ख.नं. 67, 68 व अन्य भूमियों का पूर्व खातेदार अमरसिंह व जगमालसिंह में विभाजन हो चुका था तथा प्रतिवादी नं. 7 ने जो भूमिया विक्रय की व दोनो के बीच हुए विभाजन को मध्य नजर रखते हुए एवं जगमालसिंह व उसके वारीसान सहमति कब्जा काश्त के आधार पर की थी पत्रावली पर उपलब्ध कमिश्नर रिपोर्ट दिनांक 29-9-94 के अनुसार व राजीनामा दिनांक 4-7-95 के अनुसार प्रतिवादीनी संख्या 14 का कब्जा काश्त बरकरार है व भूमि ख.नं. 49 व 383/49 के मध्य पुख्ता चाह मय विद्युत कनेक्शन व मकानात ख.नं. 383/49 मं बनाकर काबिज काश्तकार है। हाल सैटलमेन्ट ने विक्रय-पत्र दिनांक 16-5-77 व 22-11-84 के आधार पर प्रतिवादीनी नं. 14 को भूमि हाल ख.नं. 43 रकबा 3.05 है0, ख.नं. 48 रकबा 0.04 है0, ख.नं. 49 रकबा 6.09 है0 कुल रकबा 9.14 है0 का हिस्सा 1/2 का खातेदार दर्ज किया जा चुका है इसलिए इस खसरा नम्बरान के लिए कोई आदेश दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। पत्रावली पर पेश साक्ष्य, कमिश्नर रिपोर्ट एवं विक्रय-पत्र दिनांक 10-12-80 व 29-7-89 के आधार पर भूमि खेत ख.नं. 383/49 रकबा 2.87 है0 में से प्रतिवादी नं. 14 को रकबा 2.25 है0 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रतिवादीनी नं.14 श्रवण कंवर पत्नी रघुवीरसिंह का प्रतिदावा आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी नं.14 को भूमि हाल ख.नं. 383/49 रकबा 2.87 है0 स्थित मौजा पिलोद में से 2.25 है0 की खातेदार काश्तकार घोषित की जाती है। ख.नं. 383/49 का शेष रकबा 0.62 है0 के खातेदार काश्तकार प्रतिवादीगण 8 लगायत 13 को बहिस्सा बराबर का घोषित किया जाकर तहसीलदार सूरजगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकोर्ड में अमलदरामद करे पर्चा डिक्री जारी हो बाद तकमील पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:51:55 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner